

**न्यायालय तहसीलदार, तहसील रामगढ**

सरकार जरिये पटवारी हल्का नंगला ललावण्डी  
बनाम

हुकम, दयाचन्द पुत्रान रायसिंह जाति मेघवाल निवासी मादलां कलां तहसील रामगढ  
प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956  
प्रकरण सं0 21/2024

निर्णय दिनांक 27.01.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मादलां कला के बंजड प्रथम भूमि के आ0ख0नं0 369 रकबा 0.11 है0 में से 0.06 हैक्ट पर सरसो बोकर हुकम, दयाचन्द पुत्रान रायसिंह जाति मेघवाल निवासी मादलां कलां तहसील रामगढ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का ललावण्डी द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट मय तार्ईद भू0अभि0 निरीक्षक वृत्त मिलकपुर के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल हुकम, दयाचन्द पुत्रान रायसिंह जाति मेघवाल निवासी मादलां कलां तहसील रामगढ को राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद गैर सायलान नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुए एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। गैर सायल के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह संतोषप्रद नहीं है। गैरसायलान द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। गैर सायलान को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना विधि अनुसार संभव नहीं है। अतः गैरसायलान को अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। नाजायज कब्जा 0.06 हैक्ट, पर सरसो की फसल बोकर एवं गेतवाडा बनाकर अतिक्रमण कर लेने पर दण्ड स्वरूप लगान 0.12 रू0 का 50 गुना रू0 6/- पैनल्टी आरोपित की जाती है। साथ ही पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि फसल जब्त कर फसल की निलामी कराई जावे। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तहसील को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू0 अभि0 निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



गैरसायल रा. नं. 3 - क पृष्ठ सं0 214  
कम सं0 11 वर्ष 24-25 का गारंटी/कीवली  
कम सं0 66, जो गैर सायल की गई  
[Signature]  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील रामगढ (अलवर)

[Signature]  
तहसीलदार  
रामगढ (अलवर)